**Seventeenth Loksabha**

an>

Title: Need to increase coverage of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana.

**श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत (कोरबा):** महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में मैं बहुत ज्यादा आंकड़े और तर्क प्रस्तुत नहीं करना चाहती हूँ । मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि यह बहुत सामान्य सी बात है कि किसान भाइयों की बीमा के प्रीमियम की राशि बैंकों के माध्यम से काट ली जाती है । राशि काटना तो ठीक है, परंतु इसके साथ शासन यह भी व्यवस्था सुनिश्चित करे कि हमारे किसान भाइयों को बीमा के भुगतान की राशि के विषय में अगर कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो, तो उन्हें यह जानकारी उनके अपने बैंक के माध्यम से ही सुनिश्चित हो । एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि जब हमारे किसान भाई अपनी बीमा राशि के विषय में बैंक से संपर्क करते हैं, तो उन्हें यह उत्तर मिलता है कि बीमा के विषय में वे कुछ नहीं जानते हैं ।

मेरा आपसे अनुरोध है कि बीमा राशि के विषय में जो भी जानकारी वे प्राप्त करना चाहें, वह जानकारी सरकार उन्हें दे । किसान की फसल के बीमा की प्रीमियम राशि बैंक से काटी जाती है, लेकिन उसे ठीक तरह से यह भी पता नहीं होता है कि उसका बीमा किस कंपनी से हुआ है और वह अपने बीमा के विषय में जानकारी के लिए किससे संपर्क करे । यह उनके लिए एक समस्या है । योजना की व्यवस्था जनित जो ये खामियाँ हैं, उनको दूर किया जाना अति आवश्यक है ।

महोदय, मेरा यह भी अनुरोध है कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में केवल प्रकृति जनित आपदाओं को शामिल किया गया है । इसमें व्यक्ति जनित आपदाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, जैसे कि चोरी होना, आग लगना आदि, क्योंकि आपदा आखिर आपदा है, चाहे वह व्यक्ति जनित हो या प्रकृति

जनित । मेरा यह मानना है कि किसानों को उनकी फसल की क्षति राशि का बीमा वास्तविक रूप से मिलना चाहिए । धन्यवाद ।